

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सप्तपुडा भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 20/3/09

क्रमांक / 150 322/आउशि/छात्रवृत्ति/2009 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शासन के अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को पी.एच.डी. शोध कार्य हेतु स्वीकृत छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रावधान के तहत वर्ष 2007-08 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 के लिये नवीनीकरण किया जाता है 1 नवीनीकरण हेतु छात्रवृत्ति रूपये 8,000/-रूपये आठ हजार मात्र एवं नवम्बर 2007 से 8,000/- रूपये प्रतिमाह की दर से 31.3.09 तक भुगतान करने की अनुमति आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है ।

स.क्रं	विद्यार्थी का नाम एवं शोध केन्द्र का नाम	छात्रवृत्ति स्वीकृति का वर्ष	नवीनीकरण की अवधि	स्वीकृत राशि 2008-09
1.	श्री रंजीत सिंह मेवाडे शा0 पी.जी. महाविद्यालय, बडवानी	2007-08	1.4.08 से 31.3.09	96,000/-
2.	कु. लवीना निनामा म.भारत हिन्दी साहित्य समिति, इंदौर	2007-08	1.4.08 से 31.3.09	96,000/-
			कुल राशि	1,92,000/-

कुल राशि एक लाख बानवे हजार रूपये मात्र

Handwritten signature

यदि किसी शोधार्थी द्वारा शोध छात्रवृत्ति प्राप्त होने के पश्चात वह शासकीय अथवा अशासकीय सस्था में नियोजन प्राप्त करता है तो उसके नियोजन में आने की तिथी से छात्रवृत्ति समाप्त की जावेगी । उपर्यक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय 2008-09 के लिये निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगा -

अनुसूचित जनजाति

मॉग संख्या 41-2202-सामान्य शिक्षा (03)
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)
सरकारी कालेज और संस्थायें (8855)
पी.एच.डी.अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता
-41- छात्रवृत्ति एवं वृत्तियों
0102-41-002

आयोजनेत्तर उवर्ष 2008-09

उपर्युक्त छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र. शोध रत विद्यार्थियों का प्रगति प्रतिवेदन उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं नियोजन में नहीं होने संबंधी आशय का घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही भुगतान सुनिश्चित करें ।

उक्त स्वीकृति के आधार पर छात्रवृत्ति के देयक संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र. एम.पी.टी.सी. 47 में बनाकर प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात देयक कोषालय में प्रस्तुत करें । आहरण उपरांत संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था प्रमुख को भुगतान करें । भुगतान पश्चात भुगतान प्राप्ति की पावती इस कार्यालय को अविलम्ब भेजें । एवं सुनिश्चित कर लें कि छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति तो प्राप्त नहीं कर रहा है ।



(आशीष उपाध्याय)


आयुक्त

उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 15/322 /आउशि/छा./09/
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 20/3/09

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
2. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र. ।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. ।
4. संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख म.प्र. ।
5. कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक, बजट, उच्च शिक्षा सतपुडा भवन, भोपाल ।
7. छात्रवृत्ति शाखा की गणक शाखा, उच्च शिक्षा सतपुडा भवन, भोपाल ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल ।


(प्रो.ए.सी.अग्रवाल)
वि.क.अ.
उच्च शिक्षा, म.प्र.

